कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर (म.प्र)

क्रमांक / MDM / 2015–16 / 9154 दिनांक 26/9/15

ग्वालियर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था / स्वसहायता समूह / समितियों के चयन हेतु

"Expression of interest (EOI)"

नगर निगम ग्वालियर क्षेत्रांतर्गत संचालित संस्था को ग्वालियर शहरी क्षेत्र के सैक्टर क्रमांक–01(लश्कर) में कुल शालायें 303,. विद्यार्थियों की संख्या लगभग 25097 एवं सैक्टर क्रमांक–02 (मुरार) में कुल शालायें 299 ,विद्यार्थियों की संख्या लगभग 25156 को मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने हेतु **''एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफर''** आमंत्रित कर चयन किया जाना है।

मशीनीकृत ''केन्द्रीयकृत किचिन'' केन्द्र के संचालन हेतु अनुभवशील, निर्धारित योग्यता धारी पंजीकृत संस्थाओं / समूह / समितियों के आवेदन पत्र **दिनांक 15 अक्टूवर–2015** को सायं 03:00 बजें तक जिला पंचायत कार्यालय, ग्वालियर में आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिन सायं 03:30 बजे खोली जावेगी निविदाकर्ता निविदा खोलतें समय उपस्थित रह सकते है। "एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट" से संबंधित आवेदन पत्र, संस्थाओं की योग्यता / पात्रता / अनुभव / कार्य संचालन संबंधी शर्ते जिला पंचायत कार्यालय की वेबसाइट **www.zpgwalior.nic.in** एवं जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर देखी / पढ़ी जा सकती है तथा जिला पंचायत कार्यालय मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ से निर्धारित आवेदन शुल्क 5000 / – रूपये (अक्षरी राशि रूपये पाँच हजार) जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

26/9

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ग्वालियर

कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर कमांक................ दिनांक............/ /2015 सेक्टर क्र. ....

एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हेतु आवेदन–पत्र"
भाग –01

1. संस्था / समूह / समिति का नाम –

....

....

2. पता (दूरभाष क्रमांक, ई–मेल आईडी सहित) –

....

....

....

3. अध्यक्ष का नाम / पता / दूरभाष कमांक –

....

....

(संस्था / समूह / समिति की कार्यकारिणी
समिति की सूची)

4. संस्था / संमूह / समिति का गठन का वर्ष एवं दिनांक –

....

....

5. संस्था / समूह / समिति का पंजीय़न प्रमाणपत्र
पंजीयन कमांक / दिनांक –

....

....

भाग –02

6. संस्था की विगत पाँच वर्ष (2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15) का सीए की आडिट रिपोर्ट –(विवरण दें)

7. संस्था के मुख्य बैंक खातें की पासबुक की छायाप्रति 01.04.15 से 31.08.15 तक की स्थिति में–(विवरण दें)

8. धरोहर राशि बैंकर्स चैक/डी.डी. कमांक व दिनांक..

बैंक का नाम.................................

9. आवेदन पत्र शुल्क राशि रू. 5000 डीडी/एमपीटीसी कमांक/दिनांक –

....

10. संस्था आयकर दाता है अथवा नही, हाँ की स्थिति में आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करें। छायाप्रति (परिशिष्ट) –

भाग –03

11.मध्यान्ह भोजन कार्यकम संबंधी अनुभव प्रमाणपत्र –

क्र0	विभाग/संस्थान का नाम जहां कार्य किया गया अथवा किया जा रहा है	वर्ष (कब से कब तक)	छात्र संख्या / क्षमता	कुल वर्ष
01				
02				
03				

12. संस्था के पास में स्वयं के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदनाम सहित सूची (परिशिष्ट) –

क्र	पोषण विशेषज्ञं का नाम, योग्यता	सुपरवाईजर योग्यता	क्वालिटी मॉनिटर योग्यता
1	2	3	4

13. संस्था के पास उपलब्ध अद्योसंरचना (चल, अचल, मशीनरी सहित) का विवरण –

क्र.	वायलर की संख्या, क्षमता	रोटी बनाने की मशीन, क्षमता	भोजन पकाने एवं वितरण का विवरण /संख्या	आटा चक्की, अनाज साफ करने की मशीन,	परिवहन व्यवस्था
1	2	3	4	5	6

14. – अनिवार्य शर्ते

I. शासन द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु क्रमशः 100, 150 ग्राम प्रति छात्र प्रतिदिन के मान से गेहूँ एवं चावल निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा तथा मध्यान्ह भोजन की लागत प्राथमिक शाला के बच्चों के लिये 3.76 रू एवं माध्यमिक शाला के बच्चों के लिये 5.64 रू. प्रति छात्र प्रतिदिन के मान से देय होगी । (ज्ञान है/नही है)	
II. संस्था का चयन शासन द्वारा निर्धारित समिति द्वारा किया गया जावेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। (मान्य/अमान्य)	
III. स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थाये जो फर्म एवं सोसायटी/कॉपारेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी के रूप में शासकीय नियमो के अनुसार पंजीकृत होना चाहिये।(पंजीकृत है या नही है)	
IV. स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थाये जिनका मूल उददेश्य समाज सेवा है और स्वेच्छा से कार्यक्रम के कियान्वयन से जुडना चाहते है (हॉ/नही है)	
V. संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से संबंधित कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। (अनुभव है/नही है)	
VI. संस्था कियाशील होना अनिवार्य है (कियाशील है/नही है)	
VII. संस्था का काली सूची में दर्ज न हो ततसंबंधी वचनपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न है/नही है)	
VIII. संस्था का विगत पॉच वर्ष का सीए द्वारा आडिट किया गया है। आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (आडिट है/नही है)	
IX. संस्था को आवेदन पत्र के साथ राशि रू. 5,00,000 (अक्षरी राशि रूपये पॉच लाख मात्र) की धरोहर राशि का डीडी/बैकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से जमा करना अनिवार्य है। जो कि ईओआई स्वीकृति/अस्वीकृति के दो माह पश्चात वापिस की जावेगी। (मान्य/अमान्य)	
X. संस्था को मध्यान्ह भोज़न कार्यक्रम संचालन संबंधी साप्ताहिक मीनू का पूर्ण ज्ञान/जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है एवं शासन मंशानुसार बच्चो को गर्म, रूचिकर व पौष्टिक भोजन समय पर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। (मान्य/अमांन्य)	
XI. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन संबंधी शासन निर्देशों/नियमों का ज्ञान होना अनिवार्य है। (ज्ञान है/नही है)	
XII. संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी होना चाहिये जो कम से कम दो माह का मध्यान्ह भोजन केन्द्रो पद प्रदाय करने में सक्षम हो। (सक्षम है/नही है)	
XIII. संस्था साफ–सुधारा पर्याप्त जगह वाला सर्वसुविधायुक्त हाईजिनिक तरीके से भोजन पकाने हेतु केन्द्रीयकृत किचिन शेड, आवास व्यवस्था एवं कच्चे माल, तैयार माल तथा पैकेजिंग इत्यादि हेतु गोदाम की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल सहित नगर निगम क्षेत्र में होना अनिवार्य है। (व्यवस्था है/नही है)	

XIV. चयनित संस्था को एक माह के अन्दर शासन निर्देशानुसार किचिनशेड तैयार कर, उसके उत्पादन यूनिट का स्थल पर निरीक्षण अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा किया जावेंगा, यदि संस्था के पास हाईजिनिक तरीके से उत्पादन के संसाधन नही होंगें तो उसका चयन निरस्त मान्य होगा। (मान्य है / अमान्य है)	
XV. संस्था केन्द्रीयकृत किचिन आवश्यक मशीनरी जैसे	
• आटा गूथने की मशीन ।	
• बायलर क्षमता 1000 से 1200 लीटर	
• आटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन क्षमता कम से कम 10000 रोटी प्रति घण्टा।	
• 500 लीटर के प्रेसर कुकर कम से कम 3 आदि, आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत स्थापित करने में सक्षम हो। संस्था के पास विद्यालयों मे गर्म भोजन प्रदान करने हेतु हॉट कंटेनर की पर्याप्त व्यवस्था करने मे भी सक्षम होना चाहिये। (सक्षम है / सक्षम नही है।)	
XVI. संस्था विद्यालयों में प्रतिदिन समय पर भोजन प्रदान करने हेतु परिवहन व्यवस्था पूर्ण करने मे सक्षम हो। (सक्षम है / नही है)	
XVII. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा। (मान्य है / नही है)	
XVIII संस्था को ग्वालियर शहरी क्षेत्र के सैक्टर क्रमांक–01(लश्कर) में कुल शालायें 303 ,विद्यार्थियों की संख्या लगभग 25097 एवं सैक्टर क्रमांक–02 (मुरार) में कुल शालायें 299 ,विद्यार्थियों की संख्या लगभग 25156 के लिये मध्यान्ह भोजन हेतु ईओआई आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकतानुसार शालाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या घटाई एवं बढाई जा सकती है।	

भाग –04

संस्था निम्नानुसार दस्तावेज क्रमानुसार चैक लिस्ट एवं पृष्ठांकन कर संलग्न करें। कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेजों की मूल प्रति भी उपलब्ध करावें।

1. आवेदन पत्र।
2. आवेदन शुल्क की रसीद।
3. डी0डी0 (राशि रूपये 5 लाख नामे "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर ")
4. कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो की हस्ताक्षरित प्रति।
5. संस्था का पंजीयन ।
6. अनुभव प्रमाण–पत्र (विगत 03 वर्ष)।
7. आडिट रिपोर्ट (विगत 05 वर्ष)।
8. बैंक खाते की पासबुक।
9. संस्थागत संसाधनों की सूची (अधोसंरचना सुविधा)।
10. आवेदन में उल्लेखित विषय विशेषज्ञ – तकनीकी विशेषज्ञ पोषण आहार विशेषज्ञ, क्वालिटी मॉनिटर, अन्य की सूची।
11. काली सूची में होने / नहीं होने संबंधी वचन–पत्र।
12. व्यवस्थापक / गर्वनिंग बॉडी की सूची।
13. अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो।

भाग – 05

संस्था को इस कार्यालय द्वारा नियत तिथि पर निम्न बिन्दुओं पर उपस्थित होकर प्रस्तुतीकरण देना होगा –

1. संस्थागत सुदृड़ता।
2. पोषण आहार विशेषज्ञ की उपलब्धता, योग्यता, दक्षता।
3. भोजन में प्रयुक्त खाद्य मशालों की शुद्धता, स्वच्छता ।
4. वितरण की प्रक्रिया(परिवहन)।
5. अनुश्रवण की व्यवस्था।
6. खाद्य सामग्री यथा सब्जी आदि का प्रबंधन।
7. विभिन्न घटकों की पूर्ति करने के लिये स्त्रोत जैसे सब्जी, पानी, ईधन, स्टोर, चक्की, खाद्य सामग्री, विशेष भोज की व्यवस्था।
8. आर्थिक स्थिति – दो माह स्वयं के व्यय पर कार्यक्रम संचालन की व्यवस्था।
9. अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
10. अन्य विवरण।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य बिन्दु जो इस हेतु जरूरी हो पर आपके द्वारा प्रस्तुतीकरण तय तिथि को करना होगा, जिसकी एक प्रति भी प्रस्तुत करेंगें।

घोषणा

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र मे दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। कोई जानकारी यदि मिथ्या/असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावे। इसके लिये मेरा कोई स्वत्व नही रहेगा। संस्था द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन संबंधी नियमों/शर्तों का भलीभंति परीक्षण/समझ लिया गया है। शासन द्वारा निर्धारित मीनू एवं शर्तो के अनुरूप कार्य संपादित करने की घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर
संस्था अध्यक्ष/प्रबंधक/संचालक
(सील सहित)